


कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

दिनांक 14/10/2022

आवश्यक- सूचना

महाविद्यालय के समस्त सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान जनभागीदारी एवं विजिटिंग फेकल्टी एवं समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15/10/2022 को प्रातः 11.30 बजे से एक विशेष व्याख्यान 0 प्रतिशत करप्शन पर किस प्रकार अधिनियम बनाये जा सकते हैं विषय पर आयोजित किया गया है इस व्याख्यान के मुख्यवक्ता अधिवक्ता दीपकसिंह पंवार रहेंगे। उक्त कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है।

इस कार्यक्रम के प्रभारी डॉ.मिर्जा मोजिज बेग एवं डॉ.आशीष श्रीवास्तव रहेंगे।


(डॉ.इनामुरहमान) 14/10/22
प्राचार्य,

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर